4

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/20

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना पत्र	199/24	11/6/24	29/6/24 27/6/24	20/6/24

अनवान

श्री शंकर s/o देवी रेगर

निवासी बिजोलिया कलां

श्री कस्तुरा s/o देवी रेगर

निवासी बिजोलिया कलां

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री घनश्याम लाल धाकड़

श्री ....

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

शंकर बनाम कस्तुरा।

किस्म मुकदमा — 111-128 नम्बर 199/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/6/2024	प्रार्थना पत्र रीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 20/6/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
20/6/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

शंकर बनाम कस्तुरा

किस्म मुकदमा -- 111 - 128 नम्बर 199 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11 6 [illegible]	प्रार्थना पत्र सीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज [illegible] किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी [illegible] वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 20 / 6 / 2024 को पेश [illegible] उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
20/6/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण को बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :-199/2024 तारीख दायर 11/6/2024

शंकर पुत्र देबी जाति रेगर उम्र वयस्क निवसी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

1. कस्तुरा पुत्र देबी जाति रेगर उम्र वयस्क निवसी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. प्रकाश पुत्र छितरलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. सीता पत्नि शम्भूलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :–

दिनांक 24/06/24

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री घनश्याम धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 852 पर अंकित आराजी संख्या 2226/767, 2228/768 कुल किता 2 रकबा 0.1456 हैक्टेयर भूमि एंव इसी मौजा ग्राम मे खाता संख्या 579 पर अंकित आराजी संख्या 770 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां कलां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 852 पर अंकित आराजी संख्या 2226/767, 2228/768 कुल किता 2 रकबा 0.1456 हैक्टेयर भूमि एंव इसी मौजा ग्राम मे खाता संख्या 579 पर अंकित आराजी संख्या 770 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या 199/2024 तारीख दायर 11/6/2024

प्रेषिति :— पेशी तारीख 24/6/2024

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :—प्रकरण संख्या 199/ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

शंकर पुत्र देबी जाति रेगर उम्र वयस्क निवसी बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

1. कस्तुरा पुत्र देबी जाति रेगर उम्र वयस्क निवसी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. प्रकाश पुत्र छितरलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. सीता पत्नि शम्भूलाल जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

................विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 852 पर अंकित आराजी संख्या 2226/767, 2228/768 कुल किता 2 रकबा 0.1456 हैक्टेयर भूमि एंव इसी मौजा ग्राम मे खाता संख्या 579 पर अंकित आराजी संख्या 770 रकबा 0.0324 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू—अभिलेख निरीक्षक बिजौलियां कलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं एंव कमिशनर वक्त पत्थरगढ़ी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा